

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।  
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना।  
सभी संबंधित सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)।

पटना, दिनांक 29-3-2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹7,99,47,931/- ( सात करोड़ निनान्चे लाख सैतालीस हजार नौ सौ एकतीस रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या-21(7)ब दिनांक-14.06.18, 32(7)ब दिनांक-20.09.18, 40(7)ब दिनांक-01.10.18, 46(7)ब दिनांक-11.10.18, 55(7)ब दिनांक-12.10.18, 76(7)ब दिनांक-28.12.18, 82(7)ब दिनांक-10.01.19, 88(7)ब दिनांक-01.02.19, 111(7)ब दिनांक-08.03.19, 113(7)ब दिनांक-12.03.19 एवं 120(7)ब दिनांक-15.03.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹7,99,47,931/- ( सात करोड़ निनान्चे लाख सैतालीस हजार नौ सौ एकतीस रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है(विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त 15D (वित्त विभाग के पत्रांक-ब-15/बी0एस0जी0 -21/2019 -257/वि0, दिनांक-26.2.2019) राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया, अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया, अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।


6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

0

8. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
9. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



( राघेश्याम साह )

सरकार के विशेष सचिव

खिनोद

ज्ञापांक : 124(7)0

पटना, दिनांक : 29 - 3 - 19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव

खिनोद

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/ अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रमंडलीय अस्पतालों (विपत्र कोड-20-2210011100013) का प्रत्यर्पण पश्चात् वेतनादि मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुंगेर	13000000	1820000	2600000	0	845000	1300000	19565000
2	समस्तीपुर	13000000	1820000	2600000	0	845000	1300000	19565000
3	रोहतास	5000000	700000	1000000	0	325000	500000	7525000
4	पूर्णिया	5000000	700000	1000000	0	325000	500000	7525000
5	भोजपुर	5000000	700000	1000000	0	325000	500000	7525000
6	अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया	2000000	810000	400000	0	21430	156501	3387931
7	गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना	10000000	1400000	2000000	5000	650000	800000	14855000
	<b>कुल</b>	<b>53000000</b>	<b>7950000</b>	<b>10600000</b>	<b>5000</b>	<b>3336430</b>	<b>5056501</b>	<b>79947931</b>

(सात करोड़ निनान्चे लाख सैतालीस हजार नौ सौ एकतीस)रु० मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध (तृतीय अनुपूरक सहित)	जिलों से प्रत्यर्पित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन (0013-01-01)	2450470000	53000000	2397470000	53000000	2450470000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0013-01-03)	369520000	7950000	361570000	7950000	369520000	0
3	मकान किराया भत्ता (0013-01-04)	392550000	10600000	381950000	10600000	392550000	0
4	परिवहन भत्ता (0013-01-05)	6910000	0	6905000	5000	6910000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0013-01-06)	46170000	2650000	42833570	3336430	46170000	0
6	अन्य भत्ता (0013-01-07)	244360000	5056501	239303499	5056501	244360000	0
7	त्यौहार अग्रिम (0013-01-08)	1000000	0	0	0	0	1000000
	<b>योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन</b>	<b>3510980000</b>	<b>79256501</b>	<b>3430032069</b>	<b>79947931</b>	<b>3509980000</b>	<b>1000000</b>
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013-06-01)	2500000	0	2500000	0	2500000	0
9	यात्रा व्यय (0013-11-01)	2530000	0	2530000	0	2530000	0
10	कार्यालय व्यय (0013-13-01)	9006000	0	8305000	0	8305000	701000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013-13-02)	3930000	0	2755000	0	2755000	1175000
12	दूरभाष (0013-13-03)	5000000	0	2845000	0	2845000	2155000
13	विद्युत प्रभार (0013-13-04)	166620000	0	166620000	0	166620000	0
14	विधि प्रभार (0013-13-05)	1000000	0	330000	0	330000	670000
15	वर्दी/ पोषाक (0013-13-06)	997000	0	997000	0	997000	0
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013-13-07)	1000	0	0	0	0	1000
17	किराया महसूल एवं कर (0013-14-01)	1810000	0	1810000	0	1810000	0
18	प्रशिक्षण व्यय (0013-20-03)	5759000	0	0	0	0	5759000
19	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0013-21-01)	27000000	0	27000000	0	27000000	0
20	दवा भंडार (0013-21-02)	30000000	0	30000000	0	30000000	0
21	आहार/ पथ्य (0013-21-03)	12000000	0	97298250	0	97298250	22701750
22	लघु कार्य (0013-27-01)	1000	0	0	0	0	1000
23	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0013-27-02)	5000000	0	5352800	0	5352800	44647200
24	संविदा सेवाएँ (0013-28-02)	80000000	0	80000000	0	80000000	0
25	व्यवसायिक/कला तकनीकी सेवाएँ(0013-28-04)	70000000	0	579158423	0	579158423	120841577
26	अनुग्रह अनुदान (0013-37-01)	800000	0	0	0	0	800000
27	मशीने एवं उपस्कर (0013-52-01)	5000000	0	5000000	0	5000000	0
	<b>कुल योग:-</b>	<b>5757934000</b>	<b>79256501</b>	<b>5477533542</b>	<b>79947931</b>	<b>5557481473</b>	<b>200452527</b>

124(7)A  
29-3-19

सरकार के विशेष सचिव  
बिनोद